झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....54........ वर्ष 2022.......

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री उपेन्द्र कुमार ओझा,
ग्रा० +पो० - लावागढ़,
प्र०-विश्रामपुर, पलामू ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०,
पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
07.07.2022	परिवादी श्री उपेन्द्र कुमार ओझा (राशन कार्ड सं0–20200667387), ग्रा+पो0–लालगढ़, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा जारी व्हाट्सएप नं0 पर दिनांक–05.07.2022 को प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी को दो साल से राशन नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया है। परिवादी द्वारा जिला आपूर्ति कार्यालय में शिकायत करने के बाद भी उनके शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। आयोग के पत्रांक–WA/172/2022 दिनांक–05.07.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भेजी गई है। दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई की जानी है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक–18.07.2022 को किया जाय। उक्त के क्रम में परिवादी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को उक्त तिथि को इस मामले में भी अद्यतन वस्तुस्थिति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। अभिलेख 18.07.2022 को उपस्थापित करें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx46

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित हैं। उक्त मामला पलामू जिला से सम्बन्धित है। अतः आयोग द्वारा इस मामले में दिनांक–18.07.2022 को पलामू जिला भ्रमण के दौरान वहीं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया था। परिवादी श्री उपेन्द्र कुमार ओझा उक्त सुनवाई में अनुपस्थित रहे, जिस कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अतः इस मामले में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से सुनवाई हेतु शिकायत–पत्र की प्रति उन्हें भेज दी जाए। इस आशय के साथ इस मामले की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx26	